उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

केन्द्र पोषित योजनाएँ

अ. बागवानी मिशन

क्र. सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू. /संख्या/है0 में)
1.	पौधशाला की स्थापन	उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करने हेतु पौधशालाओं की स्थापना के लिए राज सहायता उपलब्ध करना। 1.हाईटैक पौधशाला (2 से 4 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 50,000 पौध प्रति है0 प्रतिवर्ष होगा। 2.छोटी पौधशाला (0.1 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 25,000 पौध प्रति है0 प्रति वर्ष होगा।	1. रू. 2500 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 40 प्रतिशत) 2. रू. 1500 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 50 प्रतिशत) ऋण अनिवार्य	रू. 100.00 लाख रू. 15.00 लाख
2.	सब्जी एवं मसाला बीज उत्पादन	गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन करने हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना। ओपन पॉलीनेटिड फसल हाईब्रिड बीज	राजकीय हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 50 प्रतिशत) रू. 35.000 प्रति है0 रू. 1.50 लाख प्रति है0	
3.	नये उद्यानों की स्थापना			
अ.	i फल क्षेत्रफल विस्तार (सामान्य)	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। 1.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित 2.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	(कुल लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता 3 वर्षों में 60%20%20) 1.रू.50.000 प्रति है0 2.रू.30.000 प्रति है0	4 है0
	ii फल क्षेत्रफल विस्तार (सघन)	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। 1.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित 2.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	(कुल लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता 3 वर्षों में 60%20%20) 1.रू.75.000 प्रति है0 2.रू.50.000 प्रति है0	
	iii फल क्षेत्रफल	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। 1.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित	(कुल लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता 3 वर्षों में	

	विस्तार (अति सघन)	2.सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	60%20%20) 1.रू.1.00..000 प्रति है0 2.रू.62.5000 प्रति है0	
ब.	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संकर प्रजाति की सब्जी बीज उपलब्ध कराकर क्षेत्रफल विस्तार करना।	50 प्रतिशत अर्थात रू. 25.000/—प्रति है0	2 है0
स.	मसाला क्षेत्र विस्तार	कृषकों को मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मसाला बीज एवं कन्द उपलब्ध कराकर क्षेत्रफल विस्तार करना।	50 प्रतिशत अर्थात रू. 15.000/—प्रति है0	4 है0
द.	पुष्प क्षेत्र विस्तार	कृषकों को पुष्प उत्पाादन को बढ़ावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर क्षेत्रफल विस्तार करना। 1.खुले पुष्प 2.डंडीयुक्त पुष्प 3.बल्बयुक्त पुष्प	(कुल लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता) 1.रू. 20.000/—प्रति है0 2.रू. 50.000/—प्रति है0 3.रू. 75.000/—प्रति है0	2 है0
य.	मशरूम उत्पादन	मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देकर कृषकों की आय में वृद्धि करना। 1.मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत 2.कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत 3.स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत	(कुल लागत का राजकीय क्षेत्र हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत क्षेत्र हेतु 40 प्रतिशत राज सहायता देय है) 1. रू. 20.00 लाख प्रति इकाई 2. रू. 20.00 लाख प्रति इकाई 3. रू. 15.00 लाख प्रति इकाई	0.1 इकाई
4.	पुराने उद्यानों का जीर्णोधार	पुराने अनुत्पादक उद्यानों का जीर्णोधार उत्पादन में वृद्धि करना।	50 प्रतिशत अथवा रू. 20.000/—प्रति है0	0.2 है0
5.	जल प्रबन्धन व्यवस्था			
अ.	ट्यूबवेल स्थापना/पौण्ड निर्माण	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवेल की स्थापना हेतु राज सहायता	50 प्रतिशत अथवा रू. 90.000/—प्रति इकाई	1 नग

		प्रदान करना।		
6.	संरक्षित खेती			
अ.	ग्रीन हाऊस निर्माण	संरक्षित वातावरण में सब्जी एवं पुष्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु राज सहायता प्रदान करना। विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम पॉलीहाऊ	कुल लागत का 50 प्रतिशत। 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत रू. 1650.00/–प्रति वर्ग मीटर, 500 से 1008 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 1465/– प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 1420.00/– प्रति वर्ग मीटर, 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 1400.00/– प्रति वर्ग मीटर (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त)	4000 वर्ग मीटर
		विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु ट्यूबलर स्ट्रक्चर पॉलीहाऊस	कुल लागत का 50 प्रतिशत। 500 वर्गमीटर तक – कुल लागत रू. 1060.00/–प्रति वर्ग मीटर, 500 से 1008 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 935.00/– प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 890.00/– प्रति वर्ग मीटर, 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक – कुल लागत रू. 844.00/– प्रति वर्ग मीटर (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त)	4000 वर्ग मीटर
ब.	शेड नेट	ट्यूबलर बनावट, प्रकाष्ठ	कुल लागत का 50	400 वर्ग मीटर

	हाऊस	संरचना एवं बॉक्स की संरचना पर राज सहायता प्रदान करना। –ट्युबलर स्ट्रक्चर –लकड़ी का ढ़ांचा –बांस का ढ़ांचा	प्रतिशत (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त) –रू. 170 प्रति वर्ग मीटर –रू. 492 प्रति वर्ग मीटर –रू. 360 प्रति वर्ग मीटर	
स.	एन्टी हेल नेट	फलों एवं सब्जी फसलों की ओलों की सुरक्षा हेतु एन्टी हेल नेट पर राज सहायता उपलब्ध कराना।	50 प्रतिशत या अधिक तक रू. 17. 50/– प्रति वर्ग मीटर	5000 वर्ग मीटर
द.	प्लास्टिक मल्चिंग	नमी को रोकने एवं प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक सीट से ढकना	रू. 32.000 प्रति है0 का 50 प्रतिशत (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत अतिरिक्त)	02 है0
य.	संरक्षित खेती के लिए रोपण की व्यवस्था	सब्जी पौध	रू. 140 प्रति वर्ग मीटर	4000 वर्ग मीटर
		पुष्प (आर्किड, एन्थोरियम) पुष्प (कारनेशन, जरबेरा) पुष्प (गुलाब)	रू. 700 प्रति वर्ग मीटर रू. 610 प्रति वर्ग मीटर रू. 426 प्रति वर्ग मीटर	
7.	मौन पालन	फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परम्परागण एवं शहद उत्पादन हेतु मौन वंश में व मौन कॉलोनी पर राज सहायता प्रदान करना।	कुल लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम रू. 800/प्रति मौन वंश व प्रति मौन कॉलौनी	50 कॉलौनी
8.	औद्यानिक यंत्रीकरण	विभिन्न औद्यानिक मशीनों/पॉवर टिलर/ट्रैक्टर/औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन आदि हेतु राज सहायता प्रदान करना।		
		ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ0 एच0पी0 तक)	ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ0 एच0पी0 तक)	1 इकाई
		पॉवर टिलर (8 बी0ण्च0पी0 तक)	रू. 1.00.000 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40	

			प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु।	
		पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 से अधिक)	रू. 1.50.000 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु।	
		भूमि सुधारीकरण, जुताई व बीजाई हेतु क्यारी तैयारी हेतु आवश्यक उपकरण एवं बुआई, कटाई व खुदाई हेतु उपकरण	रू. 30.000 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु।	
		औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन	रू. 2.50.000 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40 प्रतिशत सामान्य लाभार्थियों हेतु।	
9.	तकनीकी प्रसार हेतु प्रदर्शन	औद्यानिकी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रदर्शन के माध्यम से प्रसार करना।	रू. 25.00 लाख (राजकीय प्रक्षेत्रों हेतु 100 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत हेतु 75 प्रतिशत)	1 इकाई
10.	मानव संसाधन			
अ.	प्रशिक्षण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य के अन्दर – रू. 1.000 प्रति दिन प्रति प्रशिक्षणार्थी (यात्रा देयक सहित) राज्य के बाहर–प्रस्ताव के अनुसार	
ब.	भ्रमण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के	प्रस्ताव के अनुसार	

		अन्दर एवं राज्य के बाहर भ्रमण कार्यक्रम		
11.	तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन हेतु	पैक हाऊस (9 मी0 X 6 मी0)	कुल लागत रू. 4. 00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात 2.00 लाख प्रति लाभार्थी	01 इकाई
		प्री कूलिंग इकाई (6 मैट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत रू. 25. 00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		मोबाइल प्री कूलिंग इकाई (5 मैट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत रू. 25. 00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड रूम (30 मैट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत रू. 15. 00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड स्टोरेज यूनिट ● बेसिक टाईप – सिंगल टैम्रेचर जोन (5.000 मैट्रिक टन तक) ● मल्टीपल टैम्परेचर जोन (5. 000 मैट्रिक टन तक) ● कन्ट्रोल्ड एटमोस्फेयर स्टोरेज (5.000 मैट्रिक टन तक)	(ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी) ● कुल लागत रू. 8000/प्रति मैट्रिक टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु।	

			●कुल लागत रू. 10.000 / प्रति मैट्रिक टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु। ●कुल लागत रू. 20.000 / प्रति मैट्रिक टन का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु।	
		रेफरवेन / कन्टेनर	कुल लागत रू. 26. 00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		प्राईमरी / मोबाईल प्रोसेगिंग यूनिट	कुल लागत रू. 25. 00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 44 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		राईपनिंग चैम्बर (300 मैट्रिक टन क्षमता)	कुल लागत रू. 1. 00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय / अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		ईवोपोरेटिव / लो एनर्जी कूल	कुल लागत रू. 5.	

		चैम्बर	00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 2.00 लाख प्रति लाभार्थी	
		कम लागत वाली संरक्षण (प्रीजरवेशन) इकाई की स्थापना	कुल लागत रू. 2. 00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 1.00 लाख प्रति लाभार्थी	
		कम लागत वाली प्याज स्टोरेज स्ट्रकचर (25 मैट्रिक टन) इकाई की स्थापना	कुल लागत रू. 1. 75 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 0.875 लाख प्रति लाभार्थी	
		पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर (100 किग्रा0)	कुल लागत रू. 4. 000/प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 2. 000/प्रति लाभार्थी	
		इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन प्रोडक्शन एण्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेनट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स	कुल लागत रू. 600.00 लाख का 55 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
12.	विपणन हेतु	टर्मिनल मार्केट	रू. 150.00 करोड़ प्रति यूनिट का 25 से 40 प्रतिशत (परियोजना आधारित)	1 इकाई
		होलसेल मार्केट	रू. 100.00 करोड़ प्रति यूनिट का 33. 33 प्रतिशत पर्वतीय/अनूसूचित क्षेत्रों एवं 25 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		अपनी मण्डी/रूरल मार्केट की स्थापना	रू. 25.00 लाख प्रति यूनिट का 55	

			प्रतिशत पर्वतीय/अनूसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		रिटेल मार्केट/आउटलेट	रू. 15.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनूसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		स्टेटिक मोबाईल बेडिंग कार्ड/प्लेटफार्म (कुल चैम्बर सहित)	रू. 30.000/प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 15.000 प्रति लाभार्थी	
		फक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ● कलैक्शन, सोर्टिंग, ग्रेडिंग आदि	रू. 15.00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय/अनूसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
		क्वालीटी कन्ट्रोल/एनालिसिस लैब	पब्लिक सैक्टर के लिए रू. 200.00 लाख प्रति यूनिट का 100 प्रतिशत अर्थात 200.00 लाख प्रति लाभार्थी, प्राइवेट सैक्टर के लिए रू. 200.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 100.00 लाख प्रति लाभार्थी (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	

		रोपवे (ग्रेविटी बेस्ड)	रू. 15.00 लाख प्रति किमी0 का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु (ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी)	
13.	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई	रू. 800.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 400.00 लाख प्रति लाभार्थी	1 इकाई

ब – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत
Per Drop More Crop योजना

क्र. सं.	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	देय राज सहायता का प्रतिशत		अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
				सामान्य कृशकों हेतु	लघु एवं सीमान्त कृशकों हेतु	
1.	**क्षेत्र विस्तार**					
अ.	टपक (ड्रिप) सिंचाई	पौधों की आवश्यकतानुसार जल एवं खाद का वितरण उनकी जड़ों तक पहुँचाते हुए कम समय में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई खरपतवार नियंत्रण एवं गुणवत्ता उत्पादन एवं पैदावार में वृद्धि करना।	रू. 27158 से रू. 158489 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	0.4 है0 तथा अधिकतम 5 हैक्टेयर
ब.	पोर्टेबल स्प्रिंकलर		रू. 24427.50 से रू. 27376.25 तक (63 मिमी. से 90 मिमी. तक)	45	55	उक्त
स.	माइक्रो स्प्रिंकलर		रू. 73665 से रू. 84026 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	उक्त
द.	मिनी स्प्रिंकलर		रू.106515 से रू. 117535 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	उक्त
य.	रेन गन		रू. 35851 से रू. 43141 तक (63 मिमी. से 90 मिमी. तक)	45	55	उक्त

स – परम्परागत कृषि विकास योजना

1. कलस्टर अवधारणा अपनाते हुए परम्परागत खेती को बढ़ावा।

2. प्रति कलस्टर 20 हैक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादन।
3. राज सहायता – रू. 50.000 प्रति हैक्टेयर (प्रथम वर्ष–16500, द्वितीय वर्ष–17000 व तृतीय वर्ष–16500)।
4. कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित रिपोर्ट एजेन्सी के माध्यम से कास्तकारों का 03 चरणों में प्रशिक्षण व भ्रमण।
5. प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा।

द – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना

योजना का उद्देश्य	योजना में पात्रता	योजना के मानक	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खण्ड के फार्मलाइजेशन को प्रोत्साहन देना एवं प्रति स्पर्धी क्षमता निर्माण तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड होल्डिंग सहायता करना।	1.मौजूदा या नये सूक्ष्म खाद्य उद्यम जैसे कि स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/भागीदार फर्म/एफ0पी0ओ0/एन0जी0ओ0/सहकारिता/एस0एच0जी0/प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी आदि। 2.आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। 3.वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" में स्वयं पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। 4.यदि आवेदक ने सरकार की अन्य सब्सिडी से जुड़ी योजना में बैंक ऋण लिया हो तो वह इस योजना के तहत भी बैंक ऋण के लिए एवं ब्याज सबवैंशन तथा टॉप अप कनवर्जेन्शन के लिए पात्र है। मौजूदा इकाईयों के उन्नयन/विस्तार हेतु बैंकों द्वारा पुर्नगठन के लिए अहंता प्राप्त करने वाले आवेदन भी योजना अन्तर्गत पात्र है।	निजी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु केडिट लिंक्ड अनुदान	35 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी (90 प्रतिशत केन्द्र व 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान)	10 लाख
		खाद्य प्रसंस्करण आधारित स्वंय सहायता समूहों को प्रारम्भिक पूंजी हेतु सहायता	रू. 40.000/– प्रति सदस्य (90 प्रतिशत केन्द्र व 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान)	रू. 4.00.000
		कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर एफ.पी.ओ./एस.एच.जी. सहकारिता सरकारी ऐजेंसी एवं निजी	35 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी योग्य परियोजना लागत पर	3 करोड़ परियोजना लागत, अधिकतम 10 करोड़

		उद्यमियों को कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर (कृषि उपज की जाँच, छटाई, ग्रेडिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं इन्क्यूबेशन सेंटर) स्थापित करने हेतु क्रेडिट लिंक्ड अनुदान	(90 प्रतिशत केन्द्र व 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान)	
		खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मार्केटिंग एवं ब्राडिंग को प्रात्साहित करने हेतु एफ.पी.ओ. /एस.एच.जी., सहकारिता समिति एवं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को विपणन, ब्राडिंग, पैकेजिंग आदि विकसित करने हेतु सहायता	50 प्रतिशत अनुदान	योग्य परियोजना लागत पर
		<u>क्षमता निर्माण:</u> योजनान्तर्गत लाभार्थियों को क्षमता निर्माण (खाद्य प्रसंस्करण) हेतु प्रशिक्षण	शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान	24 घंटे/3 दिवसीय प्रशिक्षण
		स्वयं सहायता समूह व सहकारिता		8घंटे/1 दिवसीय

		समितियों को क्षमता निर्माण (खाद्य प्रसंस्करण) हेतु प्रशिक्षण		प्रशिक्षण

2 – वाह्य सहायतित परियोजना

उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना	वित्त पोषण JICA
भारत सरकार की स्वीकृति	JICA ds Rolling plan में शामिल (जून, 2022)
परियोजना लागत	रू. 251.71 करोड़ से बढ़कर रू. 526.00 करोड़
परियोजना का वित्तीय अंश	90:10
परियोजना क्षेत्र	04 जनपद (नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी)
परियोजना स्वीकृत/ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित	31–03–2022

JICA परियोजना में सम्मिलित मुख्य गतिविधियाँ

घटक	भौतिक लक्ष्य
सिंचाई सुविधाओं का विकास	➢ जल स्त्रोतों का सृजन (1886) ➢ ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना (1545 है0) ➢ स्प्रिंक्लर सिंचाई प्रणाली की स्थापना (545 है0)
संरक्षित खेती	➢ जल स्त्रोतों का सृजन (1886) ➢ ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना (1545 है0) ➢ स्प्रिंक्लर सिंचाई प्रणाली की स्थापना (545 है0)
समेकीट कीटनाशी जीव प्रबन्धन व मैकेनाईजेशन	➢ समेकीट कीटनाशी जीव प्रबन्धन (7775 है0) ➢ फार्म मशीनरी बैंक स्थापना (16)
सप्लाई चैन अवस्थापना सृजन	➢ पैक हाऊस (16), कोल्ड रूम (20), रिफर वैन (16), आउटलेट (02) ➢ रूरल मार्केट/अपनी मण्डी (08) ➢ खाद्य प्रसंस्करण इकाई (02)
ICT, MIS & GIS	➢ अनुश्रवण हेतु MIS & GIS व्यवस्था ➢ उद्यान सचल दल केन्द्रों का ICT के माध्यम से आधुनिकीकरण (34)
प्रशिक्षण, अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	➢ SHEP Module, आजीविका संवर्धन (मशरूम व मौन पालन) व पोषण प्रबन्धन ➢ सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का

	सुदृढ़ीकरण (08)

3 – जिला सैक्टर की योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू. /संख्या/है0 में)
1.	उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन/पौधशाला विकास	1. फल, पौध, सब्जी, बीज, आलू बीज के परिवहन पर सहायता	शत प्रतिशत	आवश्यकता अनुसार
		2. नये उद्यानों की स्थापना हेतु पौध एवं निवेश वितरण	50 प्रतिशत	रू. 20000 प्रति है0
		3. पौध सुरक्षा हेतु दवाईयों का वितरण	60 प्रतिशत	रू. 5000 प्रति है0
		4. कुरमुला कीट नियंत्रण	60 प्रतिशत	रू. 1800 प्रति है0
		5. औद्यानिक औजार वितरण	50 प्रतिशत	रू. 1200 प्रति है0
		सिंचाई हेतु 3x2x1.5 मीटर आकार का रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	रू. 24.500 प्रति इकाई का 50 प्रतिशत	रू. 12250 प्रति टैंक
2.	फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना	फल सब्जियों को बाजार में समुचित मूल्य कदलाने हेतु प्लास्टिक केट्स, किल्टे पैकिंग हेतु बॉक्स उपलब्ध कराना आदि	50 प्रतिशत	अधिकतम 10 प्रति लाभार्थी
		फल सब्जियों का प्रसंस्करण	लाभ–हानि रहित	फल सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु रू. 15/किग्रा0
		मिर्च उत्पादक (20 नाली में मिर्च उत्पादन करने वाले) को काली पॉलीथीन उपलब्ध	50 प्रतिशत	200 वर्ग फीट उपयुक्त गेज की पॉलीथीन

		कराना		
		फल व सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शत प्रतिशत	07 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू. 350/प्रशिक्षणार्थी व्यय तथा अवशेष धनराशि रू. 700/—सीधे प्रशिक्षणार्थी के खाते में डाला जायेगा।
3.	प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	1. उद्यान विकास—व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना हेतु पौध व निवश वितरण	50 प्रतिशत	प्रति लाभार्थी 02 है0 से 20 है0 तक अधिकतम रू. 30.000 प्रति है0
		2. आलू विकास/उत्पादन हेतु बीज व निवेश वितरण	50 प्रतिशत	प्रति लाभार्थी 0.1 है0 से 1.0 है0 तक अधिकतम मैदानी क्षेत्र—रू. 25.000/है0 पर्वतीय क्षेत्र—रू. 40.000/है0

4 — राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रू./संख्या/है0 में)
1.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजनाओं पर 20 प्रतिशत राज्यांश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एपीडा आदि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं पर मैचिंग ग्रान्ट की व्यवस्था। (व्यवसायिक बागवानी, उत्तर फसल प्रबन्धन एवं प्रसंस्करण आदि)	20 प्रतिशत प्रति परियोजना	रू. 4.00 लाख प्रति परियोजना
2.	मधुमक्खी पालन	1. फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 01 है0 क्षेत्र में 04 मौन बॉक्सों को	रू. 350 प्रति बॉक्स	04 बॉक्स

		रखा जाने हेतु परिवहन पर		
		2. मौन बॉक्स, मौन कॉलौनियों का वितरण।	50 प्रतिशत	रू. 8000.00 / बॉक्स (10 मौनगृह / वंश)
		3.कृषकों को सात दिवसीय प्रशिक्षण	–	रू. 1050 / लाभार्थी
3.	उद्यानों की घेरबाड़ की योजना	जंगली जानवरों के बचाव हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु राज सहायता।	50 प्रतिशत	रू. 100000 / है0
4.	बाजार हस्तक्षेप योजना	उद्यानपतियों से, सी ग्रेड सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल आदि के सर्मथन मूल्य पर क्रय व्यवस्था	लाभ / हानि रहित	शासन से निर्धारित दरों के अनुसार
5.	मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना	1. मशरूम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना	50 प्रतिशत	50 कुन्तल प्रति लाभार्थी
		2. स्पान (बीज) वितरण	50 प्रतिशत	25 किग्रा. स्पान प्रति लाभार्थी
		3. 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शत प्रतिशत	1050 / लाभार्थी
6.	फसल बीमा योजना	औद्यानिक फसलों–सेब, आम, आड़ू, माल्टा, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फ्रैंचबीन एवं मिर्च का मौसम आधारित बीमा कराना।	प्रीमियम का 50 प्रतिशत	कृषकों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का 5 प्रतिशत
7.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी एवं मसाला उत्पादन की योजना	सब्जी एवं मसाला की खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन	निःशुल्क	0.1 है0 एवं रू. 300 / प्रति फसल
8.	मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास यसेजना में 30 प्रतिशत राज्यांश	पॉलीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करने पर 80 प्रतिशत रा0स0 500 वर्ग मीटर अधिकतम पर।	(50% केन्द्रांश बागवानी मिशन +30% राज्यांश)	रू. 609.50 रू. 365.70
9.	बोरवैल स्थापना की योजना	सिंचाई सुविधा हेतु	रू. 1.0 लाख	01 इकाई

		कृषकों को बोरबेल स्थापना हेतु सहायता। (रू. 75. 000/केन्द्रांश + रू. 24.000 राज्यांश प्रति इकाई)	प्रति इकाई	
10.	पॉलीहाऊस के पॉलीथीन बदलाव की योजना	कृषकों के पाँच वर्ष से अधिक पुराने पॉलीहाऊस की जीर्ण–शीर्ण पॉलीथीन बदलने हेतु सहायता	पॉलीथीन लागत रू. 50/वर्गमीटर का 75 प्रतिशत	4000 वर्ग मीटर पर रू. 1.5 लाख
11.	पौधरोपण की योजना	सरकारी आवासों, कार्यालयों, स्कूलों, कृषकों आदि को निःशुल्क फल पौध वितरण	शत प्रतिशत	कृषकों को 05 पौधे एवं राजकीय संस्थानों पर 50 पौधे तक
12.	वर्मीकम्पोस्ट की योजना	वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण हेतु बागवानी मिशन योजनान्तर्गत 25% प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान दिया जाना (50% केन्द्रांश + 25% राज्यांश)	रू. 1.00 लाख प्रति इकाई का 75 प्रतिशत	–
13.	एन्टी हेलनेट की योजना	कृषकों/उद्यानपतियों की फसलों को ओला वृष्टि से बचाव हेतु एण्टी हेलनेट के क्रय हेतु बागवानी मिशन योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान दिया जाना (50% केन्द्रांश + 25% राज्यांश)	रू. 35.00 प्रति वर्ग मीटर का 75 प्रतिशत	5.000 वर्ग मीटर के0र0 रू. 17.50 राज्यांश रू. 8.75
14.	फल पौधशालाओं की स्थापना	राज्य में छोटी (0.2 है0 से 1.0 है0 तक) नई फसल पौधशालाओं की स्थापना।	रू. 15 लाख प्रति हैक्टेयर का 50 प्रतिशत	10 है0 हेतु राज सहायता रू. 7.50 लाख। छोटी पौधशाला हेतु अनुपातिक राज सहायता
15.	जैविक बागवानी की खेती योजना	जनपद पिथौरागढ़ व चमोली में पायलट	रू. 20.000 प्रति है0 का 50	प्रति है0 रू.10. 000 अधिकतम

		आधार पर जैविक बागवानी को बढ़ावा देना।	प्रतिशत	
16.	अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों के सर्वांगीण विकास हेतु मिशन	राज्य में अखरोट, बादाम तथा पिकनट की खेती को बढ़ावा देने हेतु पौधशालाओं की स्थापना व क्षेत्रफल विस्तार हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना (0.2 से 1 है0 तक)	व्यक्तिगत क्षेत्रों हेतं रू. 15 लाख प्रति है0 का 50 प्रतिशत एवं राजकीय क्षेत्रों हेतु 100 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल विस्तार हेतु रू. 660000 प्रति है0	1.0 है0 रा0स0 रू. 7.50 लाख। अधिकतम क्षेत्रफल विस्तार पर रू. 30.000
17.	मृदा प्रयोगशाला एवं परीक्षण कार्य की योजना	चौबटिया एवं श्रीनगर में मृदा प्रयोगशाला में कृषकों के भूमि के मृदा सैंपल का परीक्षण उपरान्त भूमि के मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी/अधिकता का आंकलन करना संस्तुति करना।	राज्य सैक्टर में शत प्रतिशत	मृदा परीक्षण शुल्क प्रति सैंपल रू. 7 मुख्य तत्वों हेतु एवं रू. 7 मुख्य तत्वों हेतु कृषकों से लिया जायेगा।
18.	मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना	प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मसाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को उनकी निजी भूमि पर उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि देना।	प्रोत्साहन राशि रू. 700 प्रति कुन्तल	रू. 07/– प्रति किग्रा0
19.	वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना करना तथा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मुहैया कराना	रू. 33.300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत	–
20.	मिशन एप्पल योजना	प्रदेश में उच्च तकनीकी द्वारा सेब	रू. 12 लाख प्रति एकड़ का 80	01 एकड़ तक रू. 9.600

		उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूल वृन्त के प्रयोग से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए उचच सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। 1600 पौधे प्रति एकड़ 1X25 मिनट)	प्रतिशत	
21.	किवी मिशन CM RKVY योजना के अन्तर्गत स्वीकृत	प्रदेश के उच्च तकनीकी द्वारा किवी उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए किवी के उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। (1600 पौधे प्रति एकड़ 1X25 मीटर)	रू. 12 लाख प्रति एकड़ का 80 प्रतिशत	0.10 है0 से 0.40 है0 (5 नाली से 20 नाली तक)
22.	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास (वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ)	औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं–	–	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास (वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ)
		1. फल पौध, खुले खेत हेतु सामग्री बीज, मसाला	50 प्रतिशत सहायता	

		बीज, पुष्प बीजों पर कृषकों को 50 प्रतिशत सहायता।		
		2. कीट व्याधिनाशक रसायनों आदि पर कृषकों को 60 प्रतिशत सहायता।	60 प्रतिशत सहायता	
		3. कुल हाऊस (क्षमता–30 मै0 टन) पर कुल लागत रू. 15.00 लाख का 50 प्रतिशत सहायता कृषक समूह, आदि को	50 प्रतिशत सहायता	
		4. रेफ्रिजरेटेड वैन (क्षमता–9 मै0 टन) पर कुल लागत रू. 26.00 लाख का 50 प्रतिशत सहायता कृषक समूह, आदि को	50 प्रतिशत सहायता	